भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3180

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल समस्याएं

3180. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरा देश जल की जटिल समस्या से जूझ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में जल समस्या से निपटने और प्राथमिकता तय करने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जल संरक्षण और सिंचाई दोनों में जन सहभागिता पर आधारित कठिन प्रयास वांछित हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से संरक्षण और प्रबंधन के उनके प्रयासों □□ एकीकृत □□□□□ □□□□□ किया □; □□

(□) यदि □□,□□ □□ □□ □□□□□ की प्रतिक्रिया क्या □□□□ केन्द्र स□□□□ द्वारा □□ □□□ में क्या □□□□ □□□□ की □□ □?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(□) किसी क्षेत्र अथवा देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता ज्यादातर जल मौसम विज्ञानीय और भूगर्भीय कारकों पर निर्भर करती है और सामान्य तौर पर स्थिर रहती है। तथापि, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता □□ की आबादी पर निर्भर करती है और जहां तक भारत का संबंध है, आबादी बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति ज□ उपलब्धता लगातार घट रही है। वर्ष 2001 □□ 2011 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता का राष्ट्रीय □□□ क्रमश: 1816 क्यूबिक मीटर और 1545 क्यूबिक मीटर था, जो बाद में क्रमश: वर्ष 2021, 2031, 2041 □□ 2051 में घट कर 1486 क्यूबिक मीटर, 1367 क्यूबिक मीटर, 1282 क्यूबिक मीटर और 1228 क्यूबिक □□□□ □□ □□□□ □□ 1700 घनमीटर से कम प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति □□ 1000 घनमीटर से कम प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता को जल की अभावग्रस्तता की स्थिति कहा जाता है। वर्षा में स्थान और समय के आधार पर काफी भिन्नता होने के कारण देश के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और इसे जल की कमी/जल की अभावग्रस्तता मा□□ □□ □□□□ □□

(□) □□(□) □□, राज्य का विषय होने के कारण, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन के लिए उपाय शुरू किए जाते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के क्रम में केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार ने देश में जल उपलब्धता को सुधारने के लिए विभिन्न कदम □□□□ हैं।

पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करते हुए भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, जिसका लक्ष्य एक ही स्थान □□ □□ संसाधन प्रबंधन को एकीकृत करना है, ताकि समग्र रूप में जल से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके।

जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान (जे□□□)- जल संरक्षण तथा जल सुरक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान, जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत सरकार के अधिकारी, भूमि जल विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, राज्य तथा जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर भारत के सबसे अधिक जल की समस्या वाले जिलों में कार्य करेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री ने 08.06.2019 को जल संरक्षण और □□□□ के महत्व के बारे में सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है और उनसे जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी उचित उपायों को अपनाने का आवाहन किया है। इससे लोगों को वर्षा जल संचयन, तालाबों और गांव के टैंकों के रखरखाव एवं उनको बनाए रखने तथा जल संरक्षण के लिए कार्य करने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योज□ (□□□□□) तैयार की है, जिसमें जल की उपलब्धता सुधारने के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरण की अभिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), जो कि एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है, के माध्यम □□ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में स्लिपेज और कमियों को घटाने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी क□ अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, परिणाम अभिमुखी और परिणाम आधारित बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया गया □□

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 500 शहरों में जलापूर्ति, तूफान के वर्षा जल की निकासी, आदि जैसे मिशन घटकों के साथ अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन कार्यान्वित कर रहा है। जलापूर्ति घटक में मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली तथा जल शोधन संयंत्रों का संवर्धन, पुरानी जलापूर्ति प्रणाली का पुनर्स्थापन, पेयज□□ आपूर्ति के लिए जल निकायों का पुनरूद्धार और भूमि-जल का पुनर्भरण आदि शामिल हैं। मंत्रालय □□□□ संरक्षण उपाय शुरू करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को "शहरी जल संरक्षण हेतु दिशानिर्देश" दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

□□ □□□□, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रभारी, राज्य मंत्रियों की 11 जून, 2019 को नई दिल्ली में एक बैठक □□ □□ □□ □□□ □□ □रक्षण तथा जल-आपूर्ति-स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, अन्य कार्यक्रमों में जल संचय एवं संरक्षण हेतु योजना के विषय में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा के लिए की गई थी। प्वाइंट पुनर्भरण, छोटे सिंचाई टैंकों से गाद निकालने, कृषि के लिए ग्रे पानी का उपयोग करने और स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के जैसे विभिन्न जल संरक्षण प्रयासों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर विचार हुआ था। राज्य सरकारों से जल संरक्षण उपायों को पूरा करने का अनुरोध किया गया था, ताकि आगामी मॉनसून अवधि में बड़े पैमाने पर वर्षा जल का संचय करना संभव हो सके।

जल की गिरावट को रोकने तथा वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ पहल/उपायों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf.

*****